[2019 , 15 एस. सी. आर. 342

अक्षय कुमार सिंह

वी.

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

2019 की पुनरीक्षण याचिका (आपराधिकद) डी. संख्या 44603

में।

(आपराधिक अपील सं। 609-610 2017 का)

18 दिसंबरए 2019

[आर. भानुमति, अशोक भूषण और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

उच्चतम न्यायालय नियम, 2013-या। XLVII, आर. 1-मृत्युदंड के मामलों में समीक्षा-निर्भया मामले में दायर आपराधिक अपील याचिकाकर्ता-आरोपी (बस के क्लीनर) को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया था। 05.05.2017 मुकेश में और एक अन्य वी। राज्य (एन. स. टी. दिल्ली) और अन्य ने [2017] 6 एस. सी. आर. 1 के रूप में सूचित किया-याचिकाकर्ता पर दोषसिद्धि और मृत्युदंड निचली अदालत और उच्च न्यायालय की पुष्टि हुई-समीक्षा याचिका आयोजित किया गयाः अपराधी में समीक्षा का दायरा सीमित है कार्यवाहियों की अनुमति केवल अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार पर दी जाती है- पुनरीक्षण याचिका अपील की फिर से सुनवाई नहीं है- इस पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार सह - अभियुक्त द्वारा उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं में उठाए गए आधारों के समान हैं जिन पर उनके द्वारा विचार और अस्वीकार किया गया था।

उच्चतम न्यायालय- इसके अलावाए मृत्युदंड के खिलाफ दी गई सामान्य दलीलों को इस समीक्षा याचिका में नहीं लिया जा सकता है.एक पक्ष केवल अपील की पुनः सुनवाई और एक नए निर्णय के उद्देश्य से फैसले की समीक्षा की मांग करने का हकदार नहीं है। जिस तरीके से अपराध किया गया थाए उस पर विचार करते हुएए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तारीख दी। 05.05.2017 मान लिया कि मामला "र्लभतम से दुर्लभतम मामलों" के दायरे में आता है.गंभीर परिस्थितियों के आलोक में और यह देखते हुए कि मामला ष्दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलोंष् की

श्रेणी में आता हैए मृत्युदंड की पुष्टि की जाती है.रिकॉर्ड के सामने कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। साक्ष्य की प्रशंसा या दिनांकित निर्णय के निष्कर्ष। 05.05.2017 समीक्षा का आह्वान- भारत का संविधान - कला। 137, 145 दंड संहिता, 1860- 120 बीए 201, 302, 307, 365, 366, 376 (2) (जी), 377, 395, 397 और 412। 342 अक्षय कुमार सिंह बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) भारत का संविधान- कला। 137 और 145.उच्चतम न्यायालय की यूध्आर्ट की शक्ति। 137 - आयोजित किया गयाः कला. 137 सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या यू/ Art. 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन, घोषित या किए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार देता है।

पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए अदालत ने रिकॉर्ड। भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 अधिकार देता है सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों या संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी नियम के अधीनए निश्चित रूप सेए घोषित या किए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करेगा। भारत का संविधान। उच्चतम न्यायालय का आदेश XLVII नियम 1 समीक्षा से संबंधित नियमए 2013। समीक्षा अपील की फिर से सुनवाई नहीं है। पुनरीक्षण याचिका मेंए यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह साक्ष्य की पुनः सराहना करे और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचे। निर्णय की समीक्षा की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब यह दिखाया जाता है कि निर्णय में स्पष्ट त्रुटि है। याचिकाकर्ता.अभियुक्त द्वारा इस समीक्षा याचिका में उठाए गए आधार सह अभियुक्त द्वारा अपनी समीक्षा याचिकाओं में उठाए गए आधारों के समान हैं। सह.अभियुक्त द्वारा अपनी पुनरीक्षण याचिकाओं में जिन आधारों का आग्रह किया गया थाए उन पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया और उन्हें खारिज कर दिया गया। [पैरा 8, 10, 12 और 14] [348 – एफ- जी; 349 डी- ई; 350- एच; 351- सी- डी]

पी. एन. ईश्वर अय्यर और अन्य। वी. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय सौ चंद्र कांटे और एक अन्य वी। शेख हबीब (1975) 1 एस. सी. सी. 674; कमलेश वर्मा बनाम मायवती और अन्य (2013) 8 ए. सी. सी. 320; [2013] 11 एस. सी. आर. 25; विक्रम सिंह उर्फ विक्की वालिया और एक अन्य बनाम। पंजाब राज्य और एक अन्य (2017) 8 एस. सी. सी. 518 [2017] 8 एस. सी. आर. 177 - पर भरोसा किया।

मुकेश और एक अन्य वी। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य (2017) 6 एस. सी. सी. 1रू [2017] 6 एस. सी. आर. 1- संदर्भित।

1.2 इस पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दो आधार हैं (i) कलयुग में मृत्युदंड देने की निरर्थकताए जहां कोई व्यक्ति मृत शरीर से बेहतर नहीं हैय और (ii) दिल्ली एन. सी. आर. में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि जीवनकाल कम है [2019] 15 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट वैसे भी और हर कोई इस बात से अवगत है कि इस संबंध में दिल्ली एनण् सीण् आरण् में क्या हो रहा है और हालांकिए मौत की सजा दिए जाने का कोई कारण नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में वर्तमान मामले की तरह गंभीर आधार उठाए गए हैं। याचिका में अनुचित जांच और सबूतों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए जो आधार उठाए गए हैंए वे बहुत सामान्य हैं और विशिष्ट नहीं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया प्रत्येक बिंदु आपराधिक अपीलों की सुनवाई के समय ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच के पाठ्यक्रम पर हमला करने वाले आरोपी पर अच्छी तरह से विचार किया गया था। एक ही बिंदु पर बार.बार जोर नहीं दिया जा सकता है। [पैरा 15, 17,] [351- ई; 352- ए-बी]

2. मृत्यु घोषणा- अभियोजक से तीन मृत्यु घोषणाएँ दर्ज की गईं। इस न्यायालय ने तीनों पर विचार किया याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से विचार किया गया था पारस (247) से (269)। साक्ष्य के मूल्यांकन परए इस न्यायालय ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की बहाना की याचिका को अस्वीकार कर दिया और माना कि बहाना की याचिका द्वारा लिया गया याचिकाकर्ता एक बाद का विचार है। बहाना की याचिका को अस्वीकार करने में साक्ष्य की सराहना रिकॉर्ड के सामने किसी भी स्पष्ट त्रुटि से प्रभावित नहीं होती है और इसे समीक्षा के आधार के रूप में आग्रह नहीं किया जा सकता है। कथित उपयोग पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गईं लोहे की छड़ और उसे सुविचारित लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था पारस (193) से (209) और (413) से (422) में तर्क और उन पर उक्त निष्कर्ष चिकित्सा की राय द्वारा समर्थित हैं। विशेषज्ञ किसी भी त्रुटि से पीड़ित नहीं हैं। पुनरीक्षण याचिका बार.बार साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर अपील की पुनः सुनवाई के लिए नहीं है। एक पक्ष को समीक्षा की मांग करने का अधिकार नहीं है निर्णय केवल अपील की पुनः सुनवाई और एक नए निर्णय के उद्देश्य से। [पैरा 22,25-27] [353-F; 354-D 355-D-F; 356- B]

3. कंपनी द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज करना अभियुक्तः याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई उग्र और कम करने वाली परिस्थिति और हलफनामे पर पैरा (324) में विस्तार से विचार किया गया था। पक्षकारसभक वकील आ विद्वान न्यायमित्र द्वारा आग्रह कयल गेल तर्क पर

पैरा (327) सँ (368) तक विचार कयल गेल छल। अक्षय कुमार सिंह बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बचाव पक्ष द्वारा दोषियों की तुलनात्मक रूप से कम उम्रए उनकी सामाजिक.आर्थिक पृष्ठभूमिए उनकी बेदाग पृष्ठभूमि और उनकी संभावनाओं को उजागर करने के माध्यम से विस्तार से बताया गया सुधार काए महत्वहीन हो जाता है। बिगड़ती परिस्थितियों के आलोक में और यह देखते हुए कि मामला इसके दायरे में आता है "ष्दुर्लभतम मामलों " की श्रेणी में मृत्युदंड है - पुष्टि की। अभिलेख के चेहरे पर साक्ष्य की सराहना या दिनांकित 05.05.2017 निर्णय के निष्कर्षों में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं पाई जाती है। समीक्षा याचिका में उठाए गए आधारों में से कोई भी दिनांकित 05.05.2017 के फैसले की समीक्षा की मांग नहीं करता है। द. पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाती है। [पारस 28-31] [356-D-G; 357-D]

मुकेश बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्) (2018) 8 एस. सी. सी. 149र: (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रद) और अन्य (2018) 8 एस. सी. सी. 186: [2018] 7 एस. सी. आर. 919 - संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 6 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[1975) 1 एस. सी. सी. 674

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

[2013] 11 एससीआर 25

पैरा 10

उस पर भरोसा करें

[2017] 8 एससीआर 177

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[1980] 4 एससीसी 680

पीछा किया।

पैरा 12

[2018] 7 एससीआर 898

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[2018] 7 एससीआर 919

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः याचिका की समीक्षा करें (अपराधी) सं। 602-603 आपराधिक अपील सं. 2019 में। 609-610 2017 से - 05.05.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से आपराधिक अपील सं। 609-610 2017 से।

[2019] 15 एस सी आर। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. पी. सिंह, वी. पी. सिंह, सुश्री गीता चौहान, सुश्री ऋचा सिंहए सुश्री प्रतिमा रानीए सदाशिवए अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। तुषार मेहताए एसण् जीण् कानू अग्रवालए सुश्री स्वाति घिल्डियालए अदित खुरानाए मनन पोपलीए राजीव रंजनए वरुण चुघए भुवन कपूरए बीण् वीण् बलराम दासए चिराग M.Shroff, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. भानुमति, जे. 1. याचिकाकर्ता द्वारा इस समीक्षा याचिका को प्राथमिकता दी गई है अभियुक्त अक्षय कुमार सिंहए जो 2017 में आपराधिक अपील Nos.609-610 में इस अदालत द्वारा पारित दिनांकित 05.05.2017 फैसले की समीक्षा करने के लिए बस का क्लीनर था और जिसके द्वारा इस अदालत ने पुष्टि की मुकदमे द्वारा याचिकाकर्ता पर दोषसिद्धि और

मृत्युदंड लगाया गया न्यायालय के साथ.साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी। मृतकद्ध और याचिकाकर्ता.अक्षय कुमार सिंह उर्फ ठाकुर इसके सहायक थे। अभियुक्तों ने अभियोजक के साथ दुर्व्यवहार किया और चलती बस में अभियोजक के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उन्होंने अप्राकृतिक अपराध भी किया और अभियोजक के गुप्त भागों में लोहे की छड़ डाली। अभियुक्त व्यक्तियों ने पीडब्लू.1 को लोहे की छड़ से पीटा था और उसके कपड़े फाड़ दिए थे। आरोपी सब कुछ ले गया अभियोजक और पीडब्लू.1 की संपत्ति और उसके बादए फेंक दिया अभियोजक और पीडब्लू.1 चलती बस से नग्नध्अर्ध नग्न स्थिति में। अभियोजक का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गयाए जहाँ उसकी तीन मृत्यु घोषणाएँ दर्ज की गईं। चूंकि अभियोजक की हालत गंभीर हो गई थीए इसलिए उसे आगे के इलाज के लिए 27.12.2012 पर माउंट में स्थानांतरित कर दिया गया था। सिंगापुर के एलिजाबेथ अस्पताल में उनका निधन हो गया।

3. निचली अदालत ने माना कि अभियुक्त की संलिप्तता और अपराध साबित हो गया और याचिकाकर्ता और अन्य अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। धारा 120.बी आईण् पीण् सीण्ए धारा 120-बी आई. पी. सी. के साथ पठित 376 (2) (जी), धारा 120-बी आई. पी. सी. के साथ पठित 377, 365 और धारा 120.बी आई. पी. सी. के साथ पठित 366, 395 राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [आर. भानुमती, जे.]

डी. 201 को आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पढ़ा गया और अन्य बातों के साथ.साथ उन पर मृत्युदंड लगाया गया। मृत्युदंड और कारावास की अन्य सजा उच्च न्यायालय द्वारा उनकी पुष्टि की गई। अभियुक्त ने इस न्यायालय के समक्ष 2017 की आपराधिक अपील Nos.609-610।

4. याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील को पहले इस न्यायालय द्वारा मुकेश नोथर बनाम में अपने दिनांकित 05.05.2017 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य (2017) 6 एस. सी. सी. 1 निम्नलिखित साक्ष्य का आधार जिसने दृढ़ता से स्थापित किया घटना स्थल पर याचिकाकर्ता का सीई और उसका अभियोजक पर बलात्कार करने का आरोपः

(i) पीडब्लू.1/ घायल नेत्र-गवाह का साक्ष्य जिसने बस में घटना के बारे में बात कीय पीडब्लू.1 ने 26.12.2012 पर आयोजित टीआईपी में याचिकाकर्ता की पहचान उन व्यक्तियों में

से एक के रूप में की जो बस से चालक के केबिन से बाहर आए और पीडब्लू- 1 को गाली देना शुरू कर दिया और बाद में अभियोजक को पीछे ले गए बस के किनारे और उसके साथ बलात्कार किया ;

(ii) अभियोजक की तीन मृत्यु घोषणाएँए जिनमें से दूसरी मृत्यु घोषणा (एक्स. पी. डब्ल्यू. 27/ एद) में, अभियोजक ने घटना को विस्तार से बताया और कहा कि अभियुक्त व्यक्ति थे " राम सिंह ठाकुर, राजू, मुकेश, पवन और विनय को बुलाते हुए और तीसरे मृत्युपूर्व बयान में अभियोजक ने याचिकाकर्ता.अक्षय कुमार सिंह और अन्य अभियुक्तों सहित अभियुक्त" राम सिंह, मुकेश, विनय, अक्षय, विपिन, राजू" के नाम लिखे।

(iii) पीडब्लू-81 का साक्ष्य.बस के मालिक दिनेश यादवए जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोपी राम सिंह बस का चालक था और याचिकाकर्ता बस में सहायक था। घटना हुई ;

(iv) Ex.PW71/C पीडब्लू- 71 की रिपोर्ट-डॉ। आशिथ बी. आचार्य जिन्होंने राय दी कि अभियोजक पर पाया गया एक काटने का निशान संभवतः याचिकाकर्ता के कारण हो सकता हैय तीन अन्य काटने के निशान आरोपी राम सिंह के कारण हुए थे।

(v) डीएनए साक्ष्य-रक्त से उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल याचिकाकर्ता के कहने पर बरामद की गई याचिकाकर्ता की रंगीन जींस और बनियन का अभियोजक के डीएनए प्रोफाइल के साथ मिलान किया गयाय याचिकाकर्ता के जींस पैंट से उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल का एक और सेट डीएनए प्रोफाइल [2019] 15 एस. सी. आर. के साथ मिलान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पीडब्लू.1 और पीड़ित के स्तन के स्वाब से उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल जो डीएनए के अनुरूप पाया गया याचिकाकर्ता के रक्त की रूपरेखाय :

(vi) मेट्रो कार्ड और पीडब्लू.1 की चांदी की अंगूठी की बरामदगी याचिकाकर्ता के कहने पर और पीडब्लू.1 द्वारा पहचाना गया।

5. हमने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री ए. पी. सिंह को सुना है.आरोपी नं. 3। हमने श्री तुषार मेहता को भी सुना हैए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल को सुश्री सुप्रिया जुनेजाए विद्वान वकील द्वारा सहायता प्रदान की गई।

6. विद्वान वकील श्री ए. पी. सिंह ने हमें इसके माध्यम से ले जाया था पुनर्विचार याचिका में विभिन्न आधारों का आग्रह किया गया और फैसले की समीक्षा के लिए अनुरोध किया गया। विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष

की याचिका द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को निचली अदालतए उच्च न्यायालय और इस अदालत दोनों द्वारा ही अंतर्निहित माना गया है। विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य की सराहना करते हुएए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त के अपराध और सजा के बारे में निष्कर्षों को बरकरार रखा। विद्वान महान्यायवादी ने यह भी प्रस्तुत किया कि वही आधार हैं सह.अभियुक्त द्वारा पुनरीक्षण याचिका में उठाया गया था और इसे इस न्यायालय द्वारा मुकेश बनाम मामले में निर्णयों के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2018) 8 एस. सी. सी. 149 और विनय शर्मा और एक अन्य बनाम। राज्य ;दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रद्ध और अन्य (2018) 8 एस. सी. सी. 186।

7. इस समीक्षा याचिका मेंए याचिकाकर्ता दिनांकित 05.05.2017 के फैसले की समीक्षा के लिए प्रार्थना करता है। हमारे समक्ष पुनरीक्षण याचिका मेंए याचिकाकर्ता ने फिर से अभियोजन पक्ष के मामले के गुण.दोष और उस पर दिए गए निष्कर्षों पर हमला करने की मांग की है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8. यह अब समग्र नहीं है कि समीक्षा का दायरा सीमित है और समीक्षा पर स्पष्ट त्रुटि के मामलों को छोड़कर मनोरंजन नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड का चेहरा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 अधिकार देता है सर्वोच्च न्यायालयए निश्चित रूप सेए संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों या भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी नियम के अधीनए घोषित या किए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करेगा। समीक्षा से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय नियमए 2013 का आदेश XLVII नियम 1 इस प्रकार हैः

" 1. न्यायालय अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता हैए लेकिन संहिता के आदेश 47 नियम 1, अक्षय कुमार सिंह बनाम में उल्लिखित आधार को छोड़कर सिविल कार्यवाही में समीक्षा के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [आर. भानुमती, जे.] और एक त्रुटि के आधार को छोड़कर एक आपराधिक कार्यवाही में रिकॉर्ड के चेहरे

पर स्पष्ट" । उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसारए आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा की अनुमति केवल रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार पर दी जाती है।

9. भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सौ चंद्र कांटे और एक अन्य अ में स्पष्ट रूप से कहा गया है। शेख हबीब (1975) 1 एस. सी. सी. 674, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" निर्णय की समीक्षा एक गंभीर कदम है और इसके लिए अनिच्छुक सहारा केवल तभी उचित है जब एक स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती या जैसे कि न्यायिक दोषपूर्णता के कारण पहले भी गंभीर त्रुटि हो चुकी है। पुरानी और खारिज की गई विभिन्न सलाहों के माध्यम से केवल एक पुनरावृत्ति तर्कए अप्रभावी रूप से ढकी हुई जमीन पर दूसरी यात्रा या असंगत आयात की छोटी गलतियाँ स्पष्ट रूप से हैं अपर्याप्त" ।

10. समीक्षा अपील की फिर से सुनवाई नहीं है। पुनरीक्षण याचिका मेंए यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह साक्ष्य की पुनः सराहना करे और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचे। इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में समीक्षा क्षेत्राधिकार के दायरे पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। स्थापित सिद्धांतों को बार.बार दोहराया गया है। कमलेश वर्मा बनाम। मायवती और अन्य (2013) 8 एस. सी. सी. 320, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः " 17. एक समीक्षा याचिका मेंए यह न्यायालय के लिए खुला नहीं है साक्ष्य की पुनः सराहना करें और एक अलग निष्कर्ष पर पहुँचेंए भले ही वह संभव हो। सराहना पर निष्कर्ष निकला पुनरीक्षण याचिका में साक्ष्य पर तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि अभिलेख के सामने या उसके समान किसी कारण से कोई त्रुटि स्पष्ट है। केरल एसण् ईण् बीण् बनाम में यह न्यायालय। हाइटेक इलेक्ट्रोथर्मिक्स एंड हाइड्रोपावर लिमिटेड (2005) 6 एस. सी. सी. 654 निम्नानुसार हैः (एस. सी. सी पी. 656, पैरा 10) " 10. पुनरीक्षण याचिका में यह न्यायालय के लिए साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुला नहीं हैए भले ही वह संभव हो। बोर्ड के विद्वान वकील ने सबसे अच्छा हमें प्रभावित करने की कोशिश की कि पक्षों के बीच आदान.प्रदान किया गया पत्राचार इस न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है। हमें डर है कि इस तरह की प्रस्तुति को [2019] 15 एस. सी. आर. होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट एक समीक्षा याचिका में आगे बढ़े। अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन पूरी तरह से अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। यदि प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन परए अदालत तथ्य के निष्कर्ष को दर्ज

करती है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हैए तो उस निष्कर्ष पर समीक्षा याचिका में तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि रिकॉर्ड के सामने या उसके समान किसी कारण से कोई त्रुटि स्पष्ट है। हमारे समक्ष यह तर्क नहीं दिया गया है कि अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट है। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को साक्ष्य के मूल्यांकन के प्रश्न पर बहस करने की अनुमति देना। यह एक समीक्षा याचिका को भेष बदलकर अपील में बदलने के बराबर होगा।

11. संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा के दायरे पर विचार करते हुए भारत का शीर्षक और यह अवलोकन कि आम तौर पर एक अपराधी में विक्रम सिंह विक्की वालिया और अनदर वी. में अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि के अलावा समीक्षा आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है। पंजाब राज्य और अन्य 7) 8 एस. सी. सी. 518ए उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुएए यह स्पष्ट है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार के दायरेए दायरे और मापदंडों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। आम तौर पर एक आपराधिक कार्यवाहीए समीक्षा आवेदनों पर रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार के अलावा विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावाए अनुच्छेद 137 के तहत इस न्यायालय को दी गई शक्ति व्यापक है और एक उचित मामले में एक प्रकट अन्याय को कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पुनरीक्षण आवेदन द्वारा एक आवेदक को उन आधारों पर अपील पर पुनः बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन पर आग्रह किया गया था आपराधिक अपील की सुनवाई का समय। यहां तक कि अगर आवेदक यह स्थापित करने में सफल हो जाता है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि या सजा पर एक और दृष्टिकोण संभव हो सकता है जो एक नहीं है समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार। यह न्यायालय इसका प्रयोग करेगा समीक्षा का अधिकार क्षेत्र केवल तभी होगा जब न्यायिक त्रुटि के कारण पहले के निर्णय में कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती हो गई हो। रिकॉर्ड के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए जिससे आदेश 40 नियम 1 के साथ पठित अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए न्याय का गर्भपात हो जाता है। रिकॉर्ड के चेहरे पर एक भौतिक त्रुटि प्रकट होनी चाहिए जिसके परिणाम में न्याय की विफलता " ।

12. निर्णय की समीक्षा की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब यह दिखाया जाता है कि निर्णय में स्पष्ट त्रुटि है।

अक्षय कुमार सिंह बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

[आर. भानुमति, जे.]

पी. एन. ईश्वर अय्यर और अन्य बनाम। पंजीयकए भारत का सर्वोच्च न्यायालय (1980) 4 एस. सी. सी. 680, उच्चतम न्यायालय नियमए 1996 के आदेश एक्सण् एलण् नियम 1 पर विचार करते हुएए सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि आदेश एक्सण् एलण् नियम 1 दीवानी कार्यवाही में आदेशों की समीक्षा के लिए व्यापक आधार प्रदान करता हैए लेकिन निर्णय के सामने स्पष्ट त्रुटियों के लिए आपराधिक कार्यवाही के आधार को सीमित करता है।

13. समीक्षा अधिकार क्षेत्र के उपरोक्त मापदंडों को लागू करते हुएए यह देखा जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता ने हमारे रिकॉर्ड की वारंटी समीक्षा के सामने स्पष्ट त्रुटि का संकेत देने वाला कोई आधार बनाया है।

निर्णय दिनांकित 05.05.2017।

सह-अभियुक्त द्वारा अपनी पुनरीक्षण याचिकाओं में उठाए गए आधार। सह-अभियुक्त द्वारा अपनी पुनरीक्षण याचिकाओं में जिन आधारों का आग्रह किया गया थाए उन पर इस न्यायालय द्वारा मुकेश बनाम मामले में विचार किया गया और उन्हें खारिज कर दिया गया। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2018) 8 एस. सी. सी. 149 और विनय शर्मा और एक अन्य बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य (2018) 8 एस. सी. सी. 186।

15. इस मोड़ परए हम इस समीक्षा याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दो आधारों की ओर इशारा करना चाहेंगे। (i) कलयुग में मृत्युदंड देने की निरर्थकताए जहां कोई व्यक्ति मृत शरीर से बेहतर नहीं है और (ii) दिल्ली एन. सी. आर. में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि जीवन किसी भी तरह छोटा है और हर कोई जानता है कि दिल्ली एनण् सीण् आरण् में क्या हो रहा है। इस संबंध में और जबकि ऐसा हैए कोई कारण नहीं है कि मृत्युदंड क्यों दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसारए उपरोक्त को देखते हुएए उसे मौत की सजा से बख्शा जाना चाहिए। हमें यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि इस मामले में वर्तमान मामले की तरह ही गंभीर आधार उठाए गए हैं।

16. याचिकाकर्ता ने यह भी याचिका दायर की है कि मृत्युदंड मानवाधिकारों का अंतिम खंडन है और यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता हैय यह अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ भी है। पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता ने राजधानी के खिलाफ सामान्य मामला रखा है यह कहते हुए

सजा दी जाती है कि केवल गरीब और दलितों को ही मौत की सजा होने की अधिक संभावना है। मृत्युदंड के खिलाफ इस तरह की सामान्य दलीलों को इस समीक्षा याचिका में नहीं लिया जा सकता है।

17. याचिकाकर्ता ने जांच एजेंसी के पेशेवर कौशल की कमी और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता के बारे में याचिका दायर की है। जांच पड़ताल की। याचिका में सामान्य आरोप [2019] 15 एस. सी. आर. लगाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाने के लिए सबूत तैयार करें। याचिका में अनुचित जांच और हेरफेर का आरोप लगाते हुए आधार उठाए गए साक्ष्य बहुत सामान्य हैं और विशिष्ट नहीं हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा जांच के पाठ्यक्रम पर हमला करने वाले प्रत्येक बिंदु पर निचली अदालत द्वारा अच्छी तरह से विचार किया गया थाए जिसे हमने आपराधिक अपीलों की सुनवाई के समय देखा है। एक ही बिंदु पर बार.बार जोर नहीं दिया जा सकता है।

18. जहाँ तक मृत्यु घोषणा का संबंध है, याचिकाकर्ता ने वही तर्क उठाया है जो पहले उठाया गया था कि याचिकाकर्ता के अनुसारए पीडब्लू-49 द्वारा दर्ज केवल पहली मृत्यु घोषणा(Ex.PW49/ए) है-डॉ। रश्मि आहूजा जहाँ अभियोजक ने न तो किसी अभियुक्त व्यक्ति का नाम लिया है और न ही उसका उल्लेख किया हैए उस पर भरोसा करना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पीडब्लू.24 द्वारा दर्ज की गई दूसरी मृत्यु घोषणा (Ex.PW27/ए)-डॉ। 21.12.2012 पर एस. डी. एम. उषा चतुर्वेदी को दर्ज नहीं किया जा सकता था क्योंकि पीड़ित जीवन समर्थन के तहत थी और वह मृत्यु घोषणा के चार पृष्ठ नहीं दे सकती थी। याचिकाकर्ता का आगे तर्क है कि पीडब्लू-30 द्वारा दर्ज की गई तीसरी मृत्यु घोषणा-पवन कुमार, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटए जहाँ पीड़ित ने याचिकाकर्ता और अन्य अभियुक्त का नाम लिया हैए एक प्रशिक्षित संस्करण था और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

19. याचिकाकर्ता अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील श्री एण् पीण् सिंह ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में जांच त्रुटिपूर्ण है। और अविश्वसनीय। यह प्रस्तुत किया गया था कि जहां तक धारा 161 Cr.P.C के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने का सवाल हैए आरोपी की गिरफ्तारी का तरीकाए परीक्षण पहचान परेड का संचालन संदिग्ध है। जाँच के क्रम पर आरोप लगाने वाली विभिन्न दलीलें निचली अदालत के साथ.साथ उच्च न्यायालय और इस अदालत दोनों के समक्ष उठाई गई हैं जिन्हें जटिल माना गया है और खारिज कर दिया गया है। हम याचिकाकर्ता की ओर से जांच पर जोर देने वाले विद्वान वकील के तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

20. विद्वान वकील ने कहा कि मीडिया के दबाव के कारण याचिकाकर्ता और अन्य अभियुक्तों को गलत तरीके से फंसाया गया है। पुनर्विचार याचिका के पैरा 3 ;चद्ध में किए गए कथनों के माध्यम से हमें लेते हुएए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-1.अवनिंदर प्रताप सिंह ने रिश्वत के रूप में भारी राशि ली थी और इसे कुछ समाचार चैनलों में उजागर किया गया है जो साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। पीडब्लू.1. यह प्रस्तुत किया गया था कि इस संबंध मेंए हीरा लाल गुप्ताए पिता अक्षय कुमार सिंह बनाम।

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

[आर. भानुमति, जे.]

सह-अभियुक्त पवन गुप्ता ने डायरी No.26A के माध्यम से 02.11.2019 पर एस. एच. ओ. पीएस. आर. के. पुरम, सेक्टर-12, नई दिल्ली और पुलिस उपायुक्तए वसंत विहार के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई थी। दण् पुनरीक्षण याचिका के पैरा 3 (च) में किए गए कथन बाद की घटनाएँ हैं जो किसी भी सामग्री द्वारा असमर्थित हैं। आपराधिक मामले मेंए अभियुक्त की दोषसिद्धि या अन्यथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना पर आधारित होती है। मीडिया और प्रेस में उभरने वाली सामग्री या समाचार साथ ही समाचार चैनलों को अभियुक्त की दोषीता पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या गवाह की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए ध्यान नहीं दिया जा सकता है। इस तरह की घटनाओं को समीक्षा के आधार के रूप में आग्रह नहीं किया जा सकता है।

21. याचिकाकर्ता.अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील ने हमें समीक्षा याचिका के पैरा 3 (जी) में किए गए कथनों और केंद्रीय जेलए तिहाड़ए दिल्ली के एक पूर्व विधि अधिकारी सुनील गुप्ता द्वारा लिखित ष्ब्लैक वारंटष् नामक पुस्तक की कतरनों के बारे में बताया हैए जिन्होंने तिहाड़ जेल में लंबे समय तक सेवा की थी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अधिकारी द्वारा लिखी गई पुस्तक मेंए अधिकारी ने अपनी राय व्यक्त की है कि आरोपी नंबर 1 राम सिंह की तिहाड़ जेल में 11.03.2013 पर हत्या कर दी गई थी। यहाँ फिर सेए उक्त पूर्व विधि अधिकारी सुनील गुप्ता की राय केवल उनकी राय है जो किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है। यदि पूर्व विधि अधिकारी को राम सिंह की मृत्यु के बारे में कोई संदेह थाए तो उक्त अधिकारी खुद को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश कर सकता था या वह किसी भी अदालतए निचली अदालत या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर कर सकता था।

उक्त अधिकारी सुनील गुप्ता की राय जो किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैए हमारे फैसले की समीक्षा के लिए आधार नहीं हो सकती है।

22. जैसा कि फैसले में बताया गया हैए तीन लोगों की मौत हो गई थी अभियोजक से अभिलिखित घोषणाएँः

(i) डॉ. रश्मि आहूजा (पीडब्लू-49) द्वारा 11.15 पर दोपहर में दर्ज किए गए पहले मृत्यु घोषणा (Ex.PW-49/ए) मेंए अभियोजक ने कहा है कि दो से अधिक पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार कियाए जिसके बादए उसे यौन संबंध याद नहीं हैय अभियोजक ने यह भी कहा कि वह थी अप्राकृतिक यौन संबंध के अधीन और उसे उसके होंठए गाल और स्तन पर काटा गया था ;

(ii) पीडब्लू-27 द्वारा दर्ज की गई दूसरी मृत्यु घोषणा (Ex.PW-27/ए) में-उषा चतुर्वेदीए एस. डी. एम., 21.12.2012 पर 09.00 बजेए अभियोजक ने पूरी घटना को महान [2019] 15 एस. सी. आर. में सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट विवरणए प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका निर्दिष्ट करनाए व्यक्तियों की संख्या के आधार पर किया गया बलात्कारए उसके गुप्तांगों में लोहे की छड़ डालनाए बस का विवरणए की गई डकैती और दोनों पीड़ितों को चलती बस से नग्न अवस्था में बाहर फेंकना। अभियोजक ने यह भी कहा कि आरोपी एक.दूसरे को ष्राम सिंहए ठाकुरए राजूए मुकेशए पवन और विनय " और

(iii) पीडब्लू-30 द्वारा 25.12.2012 पर दोपहर 1 बजे दर्ज की गई तीसरी मृत्यु घोषणा (Ex.PW-30/डी) में.पवन कुमारए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कई विकल्प रखे पीड़ित से सवाल पूछना और इशारों और लेखन द्वारा जवाब प्राप्त करना। तीसरी मौत की घोषणा करते हुए, अभियोजक ने खुद में लिख कर अभियुक्तों के नामों का खुलासा किया हस्तलेखन अर्थात " राम सिंहए मुकेशए विनयए अक्षय, विपिन, राजू "। इस न्यायालय ने तीन मृत्यु घोषणाओं पर विचार किया अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों और पाया कि कई मृत्यु घोषणाएं न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करती हैं और विश्वसनीय हैं। उपरोक्त इससे पहले इस न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा (148) से (164), (186) से (192) और (395) से (417) में तर्क उठाए गए थे और उन पर विचार किया गया था और अस्वीकार कर दिया। जबकिए याचिकाकर्ता एक ही याचिका नहीं उठा सकता है।

23. जहाँ तक बहाना की याचिका हैए याचिकाकर्ता का तर्क है कि वह 16.12.2012 की रात को दिल्ली में मौजूद नहीं था और वह उनकी साली सरिता देवी (डी. डब्ल्यू.-15) अपने बेटे

कुंदन के साथ उनके साथ थीं। वह 15.12.2012 पर महाबोधि एक्सप्रेस में सवार हुए और रवाना हो गए। प्लेटफार्म संख्या 9, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से औरंगाबादए बिहार। याचिकाकर्ता की दलील है कि याचिकाकर्ता द्वारा कर्मलहंगए पीण् एसण् थांडवाए जिले में अपनी उपस्थिति साबित करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य औरंगाबादए जो कि डीण् डब्ल्यूण्.1ए स्थानीय ऑटो चालकए डी. डब्ल्यू-12 सरजू सिंह का साक्ष्य हैए जिन्होंने याचिकाकर्ता के अपने पैतृक गांव में अपने घर पहुंचने के बारे में बात की है और डीण् डब्ल्यूण्.13.राजमोहनए याचिकाकर्ता के ससुर और डीण् डब्ल्यू-14.पुनिता देवीए याचिकाकर्ता की पत्नीए जिन्होंने बयान दिया है कि याचिकाकर्ता सरिता देवी (डी. डब्ल्यू.-15) के साथ पैतृक गांव करमलहांग में उनके घर आया थाए यह दिखाएंगे कि याचिकाकर्ता 16.12.2012 की रात को दिल्ली में मौजूद नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि बचाव पक्ष ने याचिकाकर्ता के प्रस्थान को साबित करने के लिए नई दिल्ली से औरंगाबाद के लिए महाबोधि एक्सप्रेस के बुक किए गए टिकट का विवरण 15.12.2012 पर दिखाया हैए लेकिन इस पहलू की सराहना नहीं की गई थी।

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [आर. भानुमती, जे.]

अदालत द्वारा और याचिकाकर्ता की बहाना याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। औरंगाबादए बिहार से उनके पैतृक गाँव करमालहंग तक। डीण् डब्ल्यूण्.12.सरजू सिंहए डीण् डब्ल्यू.-13.राजमोहनए याचिकाकर्ता के ससुर और डीण् डब्ल्यूण्.14.याचिकाकर्ता की पत्नी ने याचिका में याचिकाकर्ता की उपस्थिति के बारे में बताया है। गाँव। डीण् डब्ल्यूण्.15.याचिकाकर्ता की सालीए जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 15.12.2012 पर उसके साथ थी। डी. डब्ल्यू. के साक्ष्य पर विचार करते हुए 12 , 14 और पैरा (256) में 15, इस अदालत ने कहा है कि डी. डब्ल्यू. 12, 14 और 15 सभी आरोपी अक्षय कुमार सिंह उर्फ ठाकुर के रिश्तेदार हैं। और यह कि जैसा कि दोनों न्यायालयों द्वारा देखा गया हैए उन्होंने याचिकाकर्ता को अव्यवस्थित स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कीए जैसा कि परिवार के सदस्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है।

25, याचिकाकर्ता.अभियुक्त द्वारा ली गई बहाना याचिका और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर इसके द्वारा अच्छी तरह से विचार किया गया है। पारस (247) से (269) में न्यायालय। साक्ष्य की सराहना परए इस न्यायालय ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की और बहाना की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा ली गई बहाना की याचिका एक विचार के बाद की बात है। हम साक्ष्य पर विचार करने और बहाना की याचिका की अस्वीकृति में रिकॉर्ड के चेहरे पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं पाते हैं। बहाना की याचिका को अस्वीकार

करने में साक्ष्य की सराहना रिकॉर्ड के सामने किसी भी स्पष्ट त्रुटि से प्रभावित नहीं होती है और इसे समीक्षा के आधार के रूप में आग्रह नहीं किया जा सकता है।

26. याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किया गया अगला तर्क लोहे की छड़ का उपयोग और गर्भाशय को कथित रूप से डालने पर चोट की अनुपस्थिति है। पीड़ित के गुप्तांगों में लोहे की छड़। लोहे की छड़ के कथित उपयोग पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गईं और इसे पारस (193) से (209) और (413) से (422) में सुविचारित तर्कों द्वारा खारिज कर दिया गया और चिकित्सा विशेषज्ञ की राय द्वारा समर्थित उक्त निष्कर्ष किसी भी त्रुटि से ग्रस्त नहीं हैं।

27. अन्य विवाद अर्थात। (i) ; पद्म होटल दिल्ली हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज की ठीक से जांच नहीं की गईय; (ii) पपद्म पंजीकरण वाली बस No. DL-1PC-00449 को गलत तरीके से फंसाया गया था (iii) पीडब्लू-81-बस का मालिक अदालत में पूछताछ से पहले छह महीने तक न्यायिक हिरासत में था और उसे हिरासत में इसलिए रखा गया था ताकि उस पर दबाव डाला जा सके अभियोजन पक्ष के पक्ष में गवाही देंय और (iv) याचिकाकर्ता-अभियुक्त [2019] 15 एस. सी. आर. था। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पहले फोटो खींची गई थी और उसे पीडब्लू.1 को दिखाया गया था ताकि उसे सक्षम किया जा सके परीक्षण पहचान परेड में याचिकाकर्ता.अभियुक्त की पहचान करना। अभियोजन पक्ष के मामले को घेरने वाली ये दलीलें और अन्य दलीलें सभी पहले उठाई गई थीं और साक्ष्य पर विचार करने परए उन्हें इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। पुनरीक्षण याचिका बार.बार साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर अपील की पुनः सुनवाई के लिए नहीं है। एक पक्ष को केवल अपील की पुनः सुनवाई और एक नए निर्णय के उद्देश्य से निर्णय की समीक्षा की मांग करने का अधिकार नहीं है।

28. मृत्युदंड देने के सवाल परए न्यायालय ने परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया है। निर्णय के पैरा (322) से (368) और (511) से (518) में, मृत्युदंड के प्रश्न पर विचार करते हुएए याचिकाकर्ता अभियुक्त और अन्य अभियुक्तों को भी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमिए आपराधिक पृष्ठभूमिए सुधार की संभावना और ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों के बारे में अपना हलफनामा दायर करने का अवसर दिया गया था। याचिकाकर्ता आरोपी ने अपने वकील श्री ए. पी. सिंह के माध्यम से एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है और कहा गया है कि उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और उसका मामला इसके अंतर्गत नहीं आता है। " मृत्युदंड की पुष्टि करने के लिए दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतमए जिसके विवाद पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। बढ़ाना और

कम करना याचिकाकर्ता द्वारा दायर परिस्थिति और हलफनामे पर पैरा (324) में विस्तार से विचार किया गया था। पक्षकारों के वकील और विद्वान न्यायमित्र द्वारा आग्रह किए गए तर्क पर निर्णय के पैरा (327) से (368) और (511) से (518) में विचार किया गया और अदालत ने कहा कि पृष्ठभूमि और पारिवारिक परिस्थितियों को इस रूप में नहीं लिया जा सकता है स्थितियों को कम करना। जिस तरीके से अपराध किया गया थाए उस पर विचार करते हुएए दिनांक 1 के फैसले मेंए इस अदालत ने माना कि मामला ष्दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतमष् के अंतर्गत आता है। हम यह नहीं पाते हैं कि ये निष्कर्ष किसी भी त्रुटि से ग्रस्त हैं जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है। बचाव पक्ष द्वारा दोषियों की तुलनात्मक रूप से कम उम्रए उनकी सामाजिक.आर्थिक पृष्ठभूमिए उनकी बेदाग पूर्ववृत्तियों और उनके सुधार की संभावनाओं को उजागर करने के माध्यम से विस्तार से बताई गई कम करने वाली परिस्थितियाँ महत्वहीन हो जाती हैं। बिगड़ती परिस्थितियों के आलोक में और यह देखते हुए कि मामला ष्दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलोंष् की श्रेणी में आता हैए मृत्युदंड की पुष्टि की जाती है।

29. जहाँ तक याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के प्रस्तुत करने का आरोप है कि ब्रिटेन में मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया है और कई अन्य लैटिन अमेरिकी देशों और ऑस्ट्रेलियाई राज्यों, श्री ए. पी. सिंह द्वारा पहले की समीक्षा याचिकाओं में यही तर्क उठाए गए थे-अक्षय कुमार सिंह बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [आर. भानुमति, जे.] और वही खारिज कर दिए गए। (मुकेश बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2018) 8 एस. सी. सी. 149 और विनय शर्मा और एक अन्य बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य (2018) 8 एस. सी. सी. 186]

30. कंपनी द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज करना अभियुक्तः सह.अभियुक्त द्वारा दायर समीक्षा याचिका को 09.07.2018 मुकेश बनाम पर कोई योग्यता नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2018) 8 एस. सी. सी. 149। अदालत ने कहा कि अन्य अभियुक्तों द्वारा आग्रह की गई दलीलों पर निर्णय देते समय पहले ही विचार किया जा चुका था और उन्हें खारिज कर दिया गया था। यही बात पहले अन्य सह.अभियुक्तों द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं में भी उठाई गई थी। वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में उठाए गए आधार पिछली पुनरीक्षण याचिकाओं में उठाई गई दलीलों की लगभग पुनरावृत्ति हैं जिन्हें खारिज कर दिया गया था और हमारे विचार मेंए बार.बार नहीं उठाया जा सकता है।

31. हम साक्ष्य के मूल्यांकन या दिनांकित निर्णय के निष्कर्षों में रिकॉर्ड के चेहरे पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं पाते हैं। 05.05.2017 ण् समीक्षा याचिका में उठाए गए आधारों में से कोई भी दिनांकित 05.05.2017 के फैसले की समीक्षा की मांग नहीं करता है। पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाती है।

दिव्या पांडे

पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।

मयंक मलयज